भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या :1645

मंगलवार ,10 फरवरी ,2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एआई का प्रभाव

1645. श्री जी हरीश बालयोगीः .एम .
श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन, विशेषज्ञ समिति समीक्षा या हितधारक परामर्श आयोजित किए हैं या शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो एआईसहायता प्राप्त सामग्री और प्रौद्योगिकियों के-जनित या एआई- कारण भारत में रचनाकारों, नवप्रवर्तकों, अधिकार धारकों और समनुदेशितियों द्वारा उठाए गए संभावित आर्थिक, कानूनी या व्यावसायिक नुकसान के आकलन, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकसित होते प्रभाव के आलोक में भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार डांचे में किसी संशोधन, नीतिगत सुधार या नियामक दिशानिर्देशों पर विचार कर रही है या प्रस्तावित किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): शून्य।

(ग) और (घ): जनरेटिव एआई से संबंधित उभरते मामलों और कॉपीराइट कानून पर इसके प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा 28 अप्रैल, 2025 को आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने

एआई प्रशिक्षण में कॉपीराइट सामग्री के उपयोग के मुद्दे पर एक आधार पत्र को अंतिम रूप दिया है। हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए इसे प्रकाशित किया गया था। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार थे:

i. कॉपीराइट के संदर्भ में आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले कानूनी और नीतिगत मुद्दों की पहचान और विश्लेषण करना।

ii. इन मुद्दों के समाधान हेतु प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच करना।

iii. उपरोक्त के आधार पर अनुशंसाएं करना, यदि कोई हों।

iv. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एक आधार पत्र तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना, जिसे विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

*****